न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 36 / 2022

बउनवान

बृजमोहन पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा तहसील व जिला बारां, **(अपीलांट)**

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा तह0 बारां
2. ललताबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि जोधराज जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा हाल तेल फेक्ट्री नागरिक बैंक के पास बारां
3. चमेलीबाई पुत्री बल्लभ पत्नि चंपालाल जाति धाकड़ निवासी समरत्तपुर हाल विवेकानंद नगर कोटा जिला कोटा
4. भंवरीबाई पुत्री बल्लभ पत्नि देवलाल जाति धाकड़ निवासी बलदेवपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
5. नाथू पुत्र धन्ना जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा तहसील बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

बनाराजगी निर्णय दिनांक 29.09.2003 व नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 17.12.2003

उपस्थिति :— 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट **(अपीलांट)**

2. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक 20.05.2024

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2003 व उक्त आदेश की पालना में खुले नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 17.12.2003 न्याय कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2003 को विकास शिविर पंचायत समिति बारां में प्रस्तुत कर ग्राम रानीहेड़ा की कुल किता 24 की 19.16 है. आराजी का आपसी सहमति से बंटवारे के लिये आवेदन पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन पत्र की स्वीकृति दी उसके क्रम संख्या 2 पर आराजी खसरा नंबर 57 रकबा 0.04 है., 59 रकबा 0.26 है., 56 रकबा 0.24 है., मिन 120 दक्षिणी रकबा 0.04 है., 225 रकबा 0.26 है., 227 रकबा 0.14 है., 304 रकबा 2.10 है., 371 रकबा 0.86 है., 372 रकबा 2.51 है. कुल किता 9 रकबा 6.45 है. भूमि पर मात्र रेस्पोडेन्टगण का नाम दर्ज किया गया तथा अपीलांट का नाम उक्त आराजीयात पर दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांट का नाम उक्त विभाजन के पूर्व शामलाती खाते में बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व रेकार्ड की अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त सम्पत्ति पै[illegible] है जो [illegible] एवं रेस्पोडेन्टगण को अपने दादा बल्लभ पुत्र सुक्खा से प्राप्त हुई है। अत[illegible] अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदे[illegible] 29.09.2003 [illegible] आदेश की पालना मे खुले नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 17.12.2003 को अपास्त कि[illegible] जाकर प्रकरण इस [illegible] निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अ[illegible] दिनांक 27.09.2003 की क[illegible] 2 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

आराजी का पूर्व के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलांट के हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजी में अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 3 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति विभाजन हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में आदेश दिनांक 27.09.2003 पारित करते समय कुल किता 9 रकबा 6.45 है. भूमि में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया जबकि अपीलांट का नाम उक्त आराजी पर पूर्व के राजस्व रेकार्ड में अंकित रहा है। उक्त किता 9 रकबा 6.45 है. भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की पुश्तैनी आराजी है जो उन्हे अपने दादा बल्लभ पुत्र सुक्खा से विरासतन प्राप्त हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2003 व आदेश की पालना मे खुले नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 17.12.2003 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2003 की क्रम संख्या 2 में वर्णित आराजी का पूर्व के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलांट के हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजी में अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि हस्तगत अपील सहमति विभाजन के आदेश के विरूद्ध है जो पोषणीय नहीं है। अपीलांट का हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में लिखा हुआ नहीं है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अपील के माध्यम से देय नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पो0 ने विधिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2014(1) आरजे सुल्तान सिंह व अन्य बनाम पाबू दान सिंह व अन्य पृष्ठ संख्या 465–468 पेश की।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांट ने स्वयं अपील में अंकित किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2003 को विकास शिविर पंचायत समिति बारां में प्रस्तुत कर ग्राम रानीहेड़ा की कुल किता 24 की 19.16 है. आराजी का आपसी सहमति से बंटवारे के लिये आवेदन पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2003 पारित कर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है। चूंकि विभाजन पक्षकारान की सहमति से किया जाकर आदेश दिनांक 27.09.2003 जारी किया गया है तथा उक्त आदेश की पालना में ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। तथा सहमति विभाजन के आधार पर जारी [illegible] नहीं होने से सारहीन होना पाई जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन हो[illegible] की जाती है।

निर्णय आज [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)